सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 100/2017 अपील (RCMS/2018/00150)
पंजीयन दिनांक – 24.07.2017
निर्णय दिनांक – 23.10.2018

1. श्री अय्यूब खां पिता छोटे खां पठान, निवासी भगवान दास मार्केट के पीछे, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द।

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती बीबी बेगम पत्नि श्री मामूरखां मुसलमान, निवासी कच्ची बस्ती, खांजीपीर, उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्री अफसरखां पिता हाफिज खां मुसलमान, निवासी गोशाला के पास बागाना, तहसील व जिला नीमच (म.प्र.)।
3. श्री अशरफखां पिता हाफिज खां मुसलमान, निवासी गौशाला के पास बागाना, तहसील व जिला नीमच (म.प्र.)।
4. श्री राजाखां पिता हाफिज खां मुसलमान, निवासी गौशाला के पास बागाना, तहसील व जिला नीमच (म.प्र.)।

– रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः–
1. श्री सम्पत लाल बोहरा – वकील अपीलान्ट
2. श्री खेमराज डांगी – वकील रेस्पोडेंटस्

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार, राजसमन्द, प्रकरण संख्या 01/2012 दिनांक 17.03.2015

निर्णय

दिनांक 23.10.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार, राजसमन्द, प्रकरण संख्या 01/2012 दिनांक 17.03.2015 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम किशोर नगर, तहसील व जिला राजसमन्द के खसरा नम्बर 14, 32 व 34 किता 3 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में मोहम्मद खां पिता सुलेमान खां के नाम रेकार्ड अनुसार हिस्से दर्ज थी। दिनांक 07.12.2010 को खातेदार मोहम्मद खां की मृत्यु होने पर विरासत नामान्तरकरण संख्या 1382 द्वारा बीबी बेगम पिता मोहम्मद खां, अफसरखां, अशरफखां, राजा खां पिता हाफिजखां एवं हाफिजखां पिता अजीज खां के नाम पटवारी हल्का राजनगर द्वारा दिनांक 04.03.2011 को दर्ज किया गया। जिसे तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दिनांक 08.03.2011 को मृतक मोहम्मद खां की पुत्री बीबी बेगम व मोहम्मद खां की मृत पुत्री के पुत्र अफसरखां, अशरफखां, राजाखां पिता हाफिज खां के नाम स्वीकृत किया गया।

उक्त नामान्तरण के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर, राजसमन्द समक्ष अपील प्रस्तुत की और निवेदन किया गया कि मोहम्मद खां ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 24.03.2006 को अपीलान्ट के पक्ष में ग्राम किशोरनगर की उक्त विवादग्रस्त आराजी में अपने 1/4 हिस्से की कृषि भूमि को हिबा (बख्शीश) कर दिया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण स्वीकृति पूर्व कोई जांच नहीं की और अपीलान्ट को अवसर नहीं दिये जाने से निरस्त योग्य है।

जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा उक्त अपील संख्या 14/2011 के निर्णय दिनांक 24.10.2011 को पारित कर तहसीलदार, राजसमन्द के द्वारा दिनांक 08.03.2011 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1382 को खारिज कर प्रकरण तहसीलदार, राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि दोनों पक्षों को विधिवत सुचना दी जाकर सुनवाई एवं साक्ष्य, सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का पुनः नियमानुसार निस्तारण किया जावें।

उक्त निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर निर्णय दिनांक 17.03.2015 पारित कर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया। उक्त निर्णय दिनांक 17.03.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 09.10.2018 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि मोहम्मद खां ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 24.03.2006 को अपीलान्ट के पक्ष में ग्राम किशोर नगर की

उक्त विवादग्रस्त जमीन में अपने 1/4 हिस्से की कृषि भूमि को हिब्बा (बख्शीश) कर दिया था तथा अधीनस्थ न्यायालय ने कथित नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व कोई जांच नहीं की व अपीलान्ट को मौके पर कब्जा होते हुए भी उसे देखे बिना म्यूटेशन पारित कर दिया जिस पर जिला कलक्टर, राजसमन्द ने प्रकरण तहसीलदार, राजसमन्द को प्रतिप्रेषित किया। अपीलान्ट ने तहसीलदार के समक्ष हिब्बा की प्रति प्रस्तुत की जो शामिल मिसल है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं हिब्बा के गवाह श्री रमेशचन्द्र पिता रंगलाल चपलोत निवासी राजनगर द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र शामिल मिसल है। मोहम्मद खां द्वारा यह अंकित किया गया कि मैं मुसलमान होकर सुन्नी जमात से शासित होता हूँ एवं ग्राम किशोरनगर के आराजी नम्बर 14, 32 व 34 में मेरा 1/4 हिस्सा वसीयत से सलीम खां को देता हूँ। नामान्तरकरण बाबत अयूब खां द्वारा बतौर नाबालिग संरक्षक सिकन्दर खां के नाम वसीयत की जाना भी बताया गया परन्तु जब मोहम्मद खां द्वारा हिब्बा अपीलान्ट के हक में कर दी गयी है तो उसके बाद मोहम्मद खां के पास कोई हक अधिकार शेष नहीं रहते है तथा इसके बाद जो भी लिखितम की गयी वह सब नाजायज है। कोई भी मुसलमान अपनी सम्पूर्ण जायदाद की वसीयत नहीं कर सकता है तथा परिवार के सभी दुसरे वारिसान की सहमति से ही 1/3 हिस्से की प्रापर्टी का ही वसीयत कर सकता है। तहसीलदार को जिला कलक्टर के निर्देश अनुसार शहादत लेकर कार्यवाही करनी चाहिये थी। अपीलान्ट द्वारा शहादत के रूप में हिबा पर साख देने वाले व्यक्ति का शपथ–पत्र, अपीलान्ट का शपथ पत्र एवं असल हिब्बानाम पेश किया परन्तु अधीनस्थ न्यायायलय ने यह कह दिया कि कथित हिब्बानामा के बाद दो–तीन दस्तावेज ओर लिख दिये है। इस कारण कौन–सा दस्तावेज प्रिवेल करेगा, यह नहीं कहा जा सकता है व इस आधार पर कथित म्यूटेशन अपीलान्ट के नाम स्वीकार नहीं कर रेस्पोडेंट के नाम स्वीकृत करने का आदेश दिया जो स्पष्ट बिना अधिकार के कानून विपरित होकर काबिल निरस्त के है। जब एक बार हिब्बानामा कर दिया जाता है तो उसके बाद खातेदार के पास कोई अधिकार शेष नहीं रहते है तथा खातेदार को अन्य कोई दस्तावेज लिखने का अधिकार नहीं रहता है, अगर कोई दस्तावेज लिख भी दिया गया तो वह नल एंड वोईड है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में यह भी बताया कि हिब्बा में तो ट्रांसफर के अधिकार उसकी समय ट्रांसफर हो जाते है जबकि वसीयत में अधिकार वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ट्रांसफर होते है, तहसीलदार द्वारा इस कानूनी स्थिति पर विचार किए बिना यह दिया कि हिब्बा रजिस्टर्ड नहीं है, इस कारण अपीलान्ट के नाम म्यूटेशन नहीं हो सकता है, जबकि हिब्बा की रजिस्ट्री आवश्यक नहीं है क्योंकि मुस्लिम लॉ के तहत हिब्बा जबानी भी हो सकता है तथा लिखित आधार पर भी हो सकता है इसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक नहीं है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

इसको नजरअदांज कर प्रार्थना पत्र निरस्त कर निर्णय पारित किया जो काबिल निरस्त के है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.03.2015 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने बाबत अनुरोध किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंटस् ने अपनी बहस में बताया कि मोहम्मद खां के मात्र दो लड़किया बीबी एवं कमरून है। अपील अयूब खां अपील कर रहा है जबकि विवादित भूमि के सम्बन्ध में इसके पुत्र सिकन्दर खां द्वारा अपीलान्ट अयूब के हस्ताक्षर प्रा.पत्र पर दिनांक 10.02.2011 को पेश कर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने का अनुरोध किया है। दिनांक 23.03.2006 को दो स्टाम्प मोहम्मद खां के नाम से खरीदे गये जिसमें 100/– रूपये का स्टाम्प संख्या 4545 से दिनांक 24.03.2006 को अपीलान्ट के नाम बख्सीस हेतु लिखा गया है और दुसरा स्टाम्प संख्या 4546 तादादी 100/– पर वसीयत सिकन्दर खां पिता श्री अयूब खां निवासी कांकरोली के नाम पर दिनांक 28.11.2010 को लिखवायी गयी है। सिकन्दर खा अपीलान्ट अयूब खां का पुत्र है, इस वसीयत में वर्णित किया है कि इसके पूर्व सलीम खां पिता छोटू खां पठान ने मेरे को धोखे में रख कर मेरे से एक वसीयत निष्पादित करवा दी थी, जिसे मैं निरस्त करता हूँ। इस वसीयत में अपीलान्ट को हिबा करने का कोई वर्णन नहीं है। दिनांक 23.03.2006 में दोनों खरीदे गये स्टाम्पों में मोहम्मद खां की अगुष्ठ निशानी व हस्ताक्षर दोनों ही है, जब मोहम्मद खां द्वारा दिनांक 23.03.2006 को स्टाम्प पर दिनांक 24.03.2006 को अपीलान्ट के पक्ष में हिबा की गई तो इस दिनांक 23.03.2006 को खरीदे अन्य स्टाम्प पर दिनांक 28.11.2010 को वसीयत की गई। जब अपीलान्ट के पक्ष में हिबा थी तो फिर पुत्र ने वसीयत क्यों करवाई। जबकि इसी मोहम्मद खां के नाम से पारिवारिक बंदोबस्त का दस्तावेज दिनांक 12.02.2009 को निष्पादित करवा गया, जिसमें इस फैमेल सेटलमेन्ट के पूर्व अपीलान्ट अयूब खां को किये गये उक्त भूमि हल्पनामें को निरस्त किया जाना अंकित है। मोहम्मद खां के अधिक उम्र के होने व मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से अपीलान्ट, इसका पुत्र व इसका भाई आदि सभी ने अपने अपने हित के हिसाब से स्टाम्पों पर हिबा, वसीयत आदि लिखवायी जो हकीकत से परे है। तहसीलदार, राजसमंद के द्वारा मोहम्मद खां के दिनांक 07.12.2010 को फौत होने पर उसके वारिसान की जांच कर वारिसानों के नाम पर नामान्तकरण संख्या 1382 दिनांक 08.03.2011 को स्वीकृत किया गया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंटस् ने अपील अपीलान्ट अस्वीकार फरमाई जाने का अनुरोध किया है।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा उनके कथन में बताया कि जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा तहसीलदार, राजसमन्द को दोनों पक्षों को विधिवत सुचना दी जाकर, साक्ष्य व सबूत का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण पुनः निस्तारण करें जिसकी पालना में अपीलान्ट द्वारा शहादत के रूप में असल हिब्बा नामा, हिब्बा पर साख देने वाले व्यक्ति का शपथ पत्र, एवं अपीलान्ट का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार न कर निर्णय पारित किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया की तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा मुस्लिम विधि को नजरअन्दाज करते हुए निर्णय पारित किया है। विद्वान वकील रेस्पोडेंटस् ने अपने कथन के बताया कि अपीलान्ट, इसका पुत्र व इसका भाई आदि सभी ने अपने अपने हित के हिसाब से एक ही दिन खरीदे गये स्टाम्पों पर हिबा, वसीयत आदि लिखवायी जो हकीकत से परे है। उपरोक्त वर्णन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तथ्यों से विरोधाभाषी स्थिति उत्पन्न होती है।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि निर्णय दिनांक 17.03.2015 पारित किये जाने दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों पर पूर्णतया विचार, विश्लेषण एवं परिक्षण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार, राजसमन्द का निर्णय दिनांक 17.03.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, राजसमन्द को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सभी पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण करते हुए नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर